राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(17)RSMSSB/अर्थना/ज .सं.वि./ 2015/ 308 **दिनांक :** 22.07.2016

विज्ञापन सं. 03/2016

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/(यांत्रिक) के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा–2016

राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के लिये जल संसाधन विभाग के लिये राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 एवं राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में **ऑनलाईन आवेदन पत्र** (On Line Application Form) **आमंत्रित किये जाते हैं :–**

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)(डिग्रीधारक)	29
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)(डिप्लोमा धारक)	55
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)(डिग्रीधारक)	04

विशेष नोट :– (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अभ्यर्थिता व परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।** परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिऐ कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है। परीक्षा में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णतः अन्तिम होगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया :–** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क /जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना ले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र अपने स्वयं के E-mitra ID एवं Password से Login कर Current Recuirtment पर जाकर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो सीधे ही उसका SSO ID एवं password डालकर उसका आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। **इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा।** सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये **30/– (रूपये 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी एवं आवेदन भरने की रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।

अभ्यर्थी स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना ले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर आवेदन भरते हैं तो सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करें तथा संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click कर Login करे। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो वह सीधे ही

अपना SSO ID एवं password डालकर अपना आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत नही है वे Not a Registered User Link पर Click करेंगे तथा www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करायेंगे। पंजीयन के उपरांत अपना SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। **इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा।** OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। **हाथ से भरे आवेदन–पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

नोटः–

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। **एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**
2. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
3. कृपया ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देशो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

2. परीक्षा शुल्क :– आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 650/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 450/–**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – **रूपये 350/–**

नोटः–

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क** तथा **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C)** की सूची बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश पत्रः–बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बेवसाइट के माध्यम से ही आर्नलाइन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएंगे और चयन बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बेव–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं बोर्ड की बेवसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र बेवसाइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनो एवं सुविधा को ध्यान मे रखते हुये प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जा सकती है।

4. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं (यांत्रिक) अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :–

(क) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारक)

पद कोड संख्या–01

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण				
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
													B/LV	HI	LD/CP		
29	11	03	01	–	01	–	–	–	10	02	01	–	–	–	–	03	–

(ख). कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारक)

पद कोड संख्या–02

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण				
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
													B/LV	HI	LD/CP		
55	21	06	02	–	02	–	–	–	17	06	01	–	1	–	–	06	01

(ग). कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिग्रीधारक)

पद कोड संख्या–03

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण				
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
													B/LV	HI	LD/CP		
04	03	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः–

1. **अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है।**
2. **अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नही किया जायेगा।**
3. महिला, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नही किया जायेगा।

विशेष सूचनाः—

1. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 के प्रावधान लागू होंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।
4. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

   परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
5. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह –विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग(राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. भूतपूर्व सैनिकों हेतुः– भूतपर्व सैनिको को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।
9. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

   उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 15–03–2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ियो' ' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

10 विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये :–

a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:–
   1. B/LV (blindness/low vision)
   2. HI(Hearing Impairment)
   3. LD/CP(Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के नियम 38(4)के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता तो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

e. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5. वेतनमान:– कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारी) ,कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारी) एवं कनिष्ठ अभियन्ता(यांत्रिक) (डिग्रीधारी) के पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड (9300–34800 रू) ग्रेड पे रू 3600/– मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:–

(1) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारी) के पद हेतु :–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय से सिविल अभियांत्रिकी मे उपाधि या सरकार द्वारा इससे समतुल्य घोषित अहर्ता।

2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिप्लोमा धारी) के पद हेतु :–

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

या

इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिये हो।

2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

(3) कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) (डिग्रीधारी) के पद हेतु :–

1.भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी मे उपाधि या सरकार द्वारा इससे समतुल्य घोषित अहर्ता।

2.देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोटः– उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम में अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में उल्लेखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदन पत्र अपात्र माना जावेगा।

अन्य योग्यताऐं :–

(1) **स्वास्थ्य** :– कनिष्ठ अभियंता (सिविल)/(यांत्रिक) (डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि कनिष्ठ अभियंता(सिविल)/(यांत्रिक) (डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह कनिष्ठ अभियंता (सिविल)/(यांत्रिक) (डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

7. राष्ट्रीयता :– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –'

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजानन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या
(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार, जाम्विया, मलावाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

नोटः– वर्ग (ख)(ग)(घ)(ड) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयुः– आवेदक 1, जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क–ाा/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार " जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः– विभाग द्वारा वर्ष 2013 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनके आयु सीमा की गणना 01.01.2014 को की गई थी। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट देय होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगीः–

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–
   (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

3. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।

4. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

5. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

6. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

7. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्वी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

8. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।

9. आयोग के कार्य–क्षैत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की , जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी बशर्तें किवे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें।

10. बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा।

11. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

12. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

13. विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरणः– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के सबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

15. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगीः–

    1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
    2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
    3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष

नोटः–

(क) रिजर्विष्ट/संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट/संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 15 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(घ) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. पेंशनः–

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन :– शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि –

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 27.07.2016 से 27.08.2016** को रात्रि 12 बजे (ई–मित्र कियोस्क पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 27.07.2016 से 27.08.2016** को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

12. परीक्षा का माह एवं दिनांकः– कनिष्ठ अभियंता(सिविल)(डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के पदों हेतु परीक्षा संभवतया माह **सितम्बर से नवम्बर, 2016** में बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। परीक्षा ऑनलाईन भी करवाई जा सकती है। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा तिथी, समय तथा परीक्षा ऑनलाईन होगी या ऑफलाईन होगी, के बारे में सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) एवं (यांत्रिकी) के डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी पदों की भर्ती की परीक्षा एक ही समय एवं दिनांक को आयोजित की जायेगी। अतः उक्त पदों के लिये डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी केवल एक ही पद डिग्री या डिप्लोमा हेतु आवेदन कर सकते है।

13. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :– सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित कर, स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,जयपुर को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।

14. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

(1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नही है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व राजस्थान विभिन्न सेवा नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नही है तो उसे निरर्हित नही किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किये जाने पर वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड अनुचित साधनों की रोकथाम रेगुलेशन, 2016 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षा में बैठने से पूर्व में हीं बहिष्कृत (Debarred) किया गया है और बहिष्कार की अवधि पूरी नहीं हुई है, ऐसे आवेदक नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

15.आवेदन कैसे करेः–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग में ही माने जायेंगे।

कृपया ध्यान देः–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध **विस्तृत विज्ञापन एवं अभ्यर्थियो के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों** का भी गहनता से अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण रूप से भर दी गई है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित करेगे कि आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करता हों। शेक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग तथा अन्य पात्रता की समस्त शर्तें ऑनलाईन आवेदन की तिथि तक पूर्ण करना आवश्यक है। यदि आवेदक इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना अंकित करता है, तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के नियम 6 में वर्णित सूची की कम संख्या 5 व 6 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो सही वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं उन्हे विज्ञापित पदों हेतु वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद इसमें सुधार हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग या बोर्ड द्वारा

उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग, विधवा, परितयक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी, या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर बोर्ड द्वारा रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॅाप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणीः–

1. **परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घंटे के भीतर अपना अभ्यावेदन/शिकायत बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।**
2. **परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।**
3. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की नहीं होगी।**
4. **जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक**

सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।

5. **सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।**
6. **परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशो की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।**

16. **श्रुत लेखन की सुविधाः–** सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वंय अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता) ऐसे परीक्षार्थी जो स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

17. **प्रमाण–पत्रों का सत्यापनः–** आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ उत्कृष्ट खिलाडी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
6. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

18. **आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथामः–**

1. आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।
2. कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने गलत आरक्षण श्रेणी/सूचना अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरूद्ध राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही कर उसकी परीक्षा एवं अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

19. कनिष्ठ अभियंता (सिविल)/(यांत्रिक) (डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :–

कनिष्ठ अभियंता (सिविल)/ (यांत्रिक) (डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी) के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट_ www.rsmssb.rajasthan.gov.in. पर उपलब्ध है।

20. बोर्ड की वेबसाइट:– अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
सचिव